बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–14.05..2018 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार। अनुंपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1–विधि शाखा– बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 का 02 मामला लंबित है।

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 ..../17 परमा पाण्डेय बनाम बिहार राज्य	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है। इसे अनुमोदित कर 2 दिनों के अंदर कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु भेजने का निदेश दिया गया।(अनु0–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, सीवान)
2	एम0जे0सी0 ..../18 रागवच्चन बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है।प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित कर 2 दिनों के अंदर कारण पृच्छा दाखिल कराने का निदेश दिया गया। (अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान)
3	एम0जे0सी0 नं0– /18 ध्रुवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, महाराजगंज	प्रभारी पदधिकारी,विधि शाखा को अविलम्ब अंचल अधिकारी से बात कर एस0ओ0एफ0 मंगाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान)**
4	एम0जे0सी0 नं0– /18 राबिया खातून एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकार	जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवलिम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**
5	एम0जे0सी0 नं0– /18 बलिन्द्र कुँवर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवलिम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**

1.2–यह भी बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

क्र0	**सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या**	**सम्बंधित पदाधिकारी**	**अभ्युक्ति**
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–3769/18 विद्याभूषण पाण्डेय बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 अनुमोदन के लिए निदेशक को भेजा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं पहल कर इसमें अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी)**
2	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0'1997/2018 इमरान खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, बड़हरिया	बताया गया कि इसमें दिनांक–20.02.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। इसमें अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा,सीवान)**
3	सी0डब्लू0जे0सी0नं0– /2018 नंद लाल प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, मैरवा	बताया गया कि इसमें दिनांक–23.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। इसमें अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा,सीवान)**
4	सी0डब्लूजे0सी0 नं0– /2018 नंदकिशोरी देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक–13.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। इसमें अविलम्व कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**
5	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–7019 /2018 बृजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक–27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। इसमें अविलम्व कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया

			गया। **(अनु0—जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**
6	सी0डब्लू0जे0सी0न0—7691 /2018 धर्मनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक—27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। इसमें अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0—कार्य0 अभि0,लोक स्वा0अभि0 प्रखण्ड,सीवान)**

1.3—विभिन्न न्यायालय स्तर से प्राप्त (एम0एम0) महत्वपूर्ण सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय—सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :—

1	Chitranjan Sinha, Senior Adv. Principal Additional Advocate General No. 2, Patna High court	पत्रांक 1067 दि0 31.01.18	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0—3522/16 विकासचन्द्र गुड्डू बाबा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	राजस्व/ स्वास्थ्य/ नगर परिषद	सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि नगर परिषद द्वारा सभी दूकानों का हस्तांतरण नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को आज ही शेष दूकानों के सम्बंध में भी प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। (अनु0—कार्यपालक पदा0 नगर परिषद,सीवान)

जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि दिनांक—20.05.2018 से माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश हो रहा है, इसलिए उसके पूर्व सभी महत्वपूर्ण मामले में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल कर दी जाय।

इसके अलावे सभी पदाधिकारियों को अपने यहाँ लम्बित एम0जे0सी0 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले को गंभीरता से लेते हुए एवं व्यक्तिगत रूचि लेते हुए निर्धारित समय—सीमा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं उसके ओथ नम्बर की सूचना प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को भेजने का निदेश दिया गया। प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी प्रखण्ड में जाने पर इसकी निश्चित रुप से समीक्षा करने का निदेश दिया गया। **(अनु0—सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

2—लोक शिकायत निवारण :— अपर समाहर्त्ता—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद,सीवान द्वारा अनुपालन किया गया है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विजय राय के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गुठनी को दिया गया है,जो उचित नही है क्योंकि इसमें राशि का गबन नही किया गया है। इस मामले में सम्बंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलनी चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0— जिला शिक्षा पदाधिकारी)**

3—आर0टी0पी0एस0— स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत 29 मामले कालवाधित हुए हैं। अनुमण्डल पदाधिकारियों को इन मामलो में स्वतः अपील में लेते हुए कार्रवाई करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। **(अनु0—अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज)**

आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत से सम्बंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की शनिवार को होने वाली बैठक की कार्यवाही मात्र भगवानपुर हाट अंचल द्वारा अपलोड हुई है। शेष अंचलों द्वारा अभी भी अपलोड नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को कार्यवाही की प्रति प्रत्येक शनिवार को प्राप्त कर अपलोड कराने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारियों को निदेशित कर दाखिल—दारिज एवं एल0पी0सी0 को भी अपलोड कराने का निदेश दिया गया। **(अनु0—प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/आई0टी0मैनेजर)**

4—विद्युतः— कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया कि कोई समस्या नही है और इस माह में 2.74 करोड़ की वसूली हुई है। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि जमा करने के बावजूद ईवीएम गोदाम में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत को अविलम्ब विद्युत कनेक्शन देने का निदेश दिया गया। इसी तरह जिला योजना पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वहाँ उनके नाम का बोर्ड नही लगा है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत को अविलम्ब इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया क्योंकि इस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भी उठाया गया है।**(अनु0—कार्यपालक अभियन्ता,विद्युत,सीवान)**

5–ग्राम स्वराज अभियानः– जिलाधिकारी द्वारा दिनांक–14. 04.18 से 05.05.18 तक चले ग्राम स्वराज अभियान से सम्बंधित अनुपालन प्रतिवेदन कुछ विभागों से प्राप्त हुआ है,लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं पंचायत शाखा से यह प्रतिवेदन नहीं आया है, जिसके कारण भारत सरकार को समेकित प्रतिवेदन भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। **(अनु0–निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,सीवान)**

6–सहकारिता– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 50 प्रतिशत सी0एम0आर0 ही प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस माह में शतप्रतिशत सी0एम0आर0 जमा कराने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला सहकारिता पदाधिकारी,सीवान)**

7–आपूर्त्ति :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि अभी तक मात्र 60 प्रतिशत ही एस0आई0ओ0 निर्गत हुआ है।जिलाधिकारी द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्धारित समय के अंदर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर द्वारा कहा गया कि गुठनी एवं गैरवा के गोदामों का प्रभार एक ही व्यक्ति के पास है और वे दोनों जगह एक साथ गोदाम नहीं खुलवाते है, जिसके कारण खाद्यान्न के उठाव में विलम्ब होता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गुठनी गोदाम में कार्यरत कर्मचारी पर गोदाम प्रबंधक को विश्वास नहीं है, जिसके कारण यह समस्या आ रही है। जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य निगम को मामले की जॉच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0 :–जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम,सीवान)**

8–कृषि :– जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि रात में आंधी–पानी आया है। सीवान जिला में इससे फसलों को क्षति हुई है या नहीं इसकी जॉच करा ली जाय। **(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी,सीवान)**

9–निर्वाचन :– उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि भी0भी0पैट के लिए गोदाम के निर्माण का कार्य अबतक भवन प्रमण्डल द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि इसके लिए उन्हें जमीन और पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि विभाग से अभीतक उन्हें इस मद में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को इस सम्बंध में जिलाधिकारी के स्तर से विभाग को पत्र भेजवाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित जमीन के पास एक झोपड़ी बनी हुई देखी गयी है। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल को इसकी जॉच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। **(अनु0–उप निर्वाचन पदाधिकारी,सीवान / कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल,सीवान)**

10–खनन :–खनन निरीक्षक, सीवान द्वारा बताया गया कि अभीतक डिपो में बालू उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्हें इस सम्बंध में विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।उन्हें बालू को तटबंध पर ही रखने के सम्बंध में कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।**(अनु0–खनन निरीक्षक, सीवान)**

11–मध्याहन भोजन योजना :–जिला मध्याहन भोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि के अभाव में रघुनाथपुर के निखती कलां में मध्याहन भोजन का बनना बंद है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया क्योंकि राशि की कोई कमी है। उन्हें सम्बंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तुरंत अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। उन्हें दरौली प्रखण्ड में बर्तन रहते हुए कागज पर खाना खिलाने एवं बड़हरिया प्रखण्ड में एक माह तक मध्याहन्न भोजन बंद रहने के मामले की भी जॉच कर सम्बंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनु0 जिला मध्याहन भोजन पदाधिकारी,सीवान)**

12–बाढ़ नियंत्रणः–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान को तटबंधों की जॉच कर लेने और तटबंध पर निगरानी के लिए गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान)**

13–आपदा प्रबंधनः–बताया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा हेतु बैठक हो गई है,लेकिन उस बैठक की कार्यवाही अभीतक निर्गत नहीं हुई है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को अविलम्ब बैठक की कार्यवाही तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।उन्हें आंधी से हुई क्षति के सम्बंध में भी सभी अंचलो से प्रतिवेदन प्राप्त कर लेने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा,सीवान)**

13–विविधः–

1–सिविल सर्जन,सीवान द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल में ओ0पी0डी0 के पास चापाकल स्वीकृत हुआ है.लेकिन कार्यपालक अभियन्ता,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल द्वारा उसे अभीतक नहीं गड़वाया गया है। इसके कारण इस गर्मी में मरीजो को पेयजल उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। कार्यपालक अभियन्ता को अविलम्ब चापाकल गड़वाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्यपालक अभियन्ता,लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल,सीवान)**

2–सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि बर्न वार्ड में एक महिला भर्ती है, जो ठीक हो गई है, लेकिन उसे कोई ले जाने नहीं आ रहा है।उसके कारण बर्न वार्ड में समस्या हो रही है। उन्हें उसे अल्पावास गृह में भेजवाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी,अलपावास गृह,सीवान)**

3–प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा द्वारा बताया गया कि प्रथम इण्टर स्तरीय परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गयी है, जो अभीतक उनसे प्राप्त नहीं हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आज ही विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजनवाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
सीवान

ज्ञाप सं0– 1225/सी0 दिनांक– 14 वीं मई, 2018 ई0

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/ कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सीवान